NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh
Gen. Secretary
&
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No : 28/NCRES/42/26

Date : 27.1.2026

श्रीमान डा0 एम. राघवैय्या जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.

विषय :– RELHS-97 योजना में नही शामिल हुये कर्मचारी एवं उनके पति–पत्नी की मृत्यु के बाद पात्र आश्रित को RELHS-97 योजना ज्वाइन कराने हेतु।

संदर्भ : (i) RBE 66/2024 दिनांक 19.7.2024
(ii) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2011/H/28/1/RELHS/Court Case दिनांक 31.5.2012
(iii) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे पत्र संख्या 797–ई/उमरे/पालिसी/संदर्भ/झांसी/RELHS-97/2025 दिनांक 11.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने संदर्भित पत्र (ii) दिनांक 31.5.2012 के द्वारा RELHS स्कीम को मार्च 2009 के पूर्व रिटायर हुये सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिये हमेशा के लिये खोल दिया था एवं पुनः पत्र संख्या RBE 66/2024 दिनांक 19.7.2024 के द्वारा रेलवे पेंशन भोगियों की विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्रियों जिन्हें माता–पिता दोनो की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त होती है, को FMA (निश्चित चिकित्सा भत्ता) देने के लिये भी पात्र घोषित किया है।

यह भी कि IRMM के पैरा 612 A के अनुसार रेलवे पेंशन भोगियों की ऐसी विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्रिया, जो RELHS का विकल्प चुनते वक्त या उसकी मृत्यु के वक्त आश्रित हो, उन्हें RELHS कार्ड होल्डर पति/पत्नी की मृत्यु के बाद भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी।

NCRES को अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कुछ ऐसे केस है जहाँ RELHS सुविधा न लेने वाले कर्मचारी/माता–पिता दोनो की मृत्यु हो चुकी है एवं आश्रित विकलांग को फैमिली पेंशन एवं FMA प्राप्त हो रहा है परन्तु जब आश्रित ने FMA के स्थान पर मेडिकल सुविधा की मांग की तो NCR प्रशासन ने संदर्भित पत्र (iii) दिनांक 11.11.2025 के द्वारा केस को रेलवे बोर्ड रिफर कर दिया है।

अतः अनुरोध है कि RELHS-97 योजना को–आप्ट न कर पाने वाले कर्मचारी और उसकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात उसके पात्र आश्रित को RELHS-97 योजना ज्वाइन कराने की अनुमति दिलाने हेतु रेलवे बोर्ड से वार्ता करने का कष्ट करें ताकि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे झांसी के संदर्भित पत्र (iii) दिनांक 11.11.2025 का जबाव रेलवे बोर्ड द्वारा कर्मचारी हित में दिया जा सके।

संलग्न :– नार्थ सेन्ट्रल रेलवे का पत्र दिनांक 11.11.2025

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

उत्तर मध्य रेलवे
North Central Railway

प्रधान कार्यालय (कार्मिक शाखा)
मन्दाकिनी परिसर, सूबेदारगंज
प्रयागराज 211015
HQ's Office (Personnel Branch)
Mandakini Building, Subedarganj
Prayagraj – 211015

पत्र सं. 797-ई/उमरे/पालिसी/संदर्भ/झाँसी/RELHS-97/2025 दिनांक: 11.11.2025

Deputy Director/Health
Railway Board,
413, Cofmow Building
New Delhi-110002.

विषय: दोनों पेंशन धारकों की मृत्यु के उपरांत आश्रितों (अविवाहित/तलाक़शुदा पुत्री) को RELHS-1997 योजना में शामिल करने के संबंध में।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस दिनांक 24.11.2021 ।

*****

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस दिनांक 24.11.2021 में यह निर्देशित किया गया है कि 31.05.2012 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के मामले में आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने हेतु सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति-पत्नी के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होगी और 01.06.2012 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के मामले में इन कर्मचारियों इनके पति-पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए आरएलएचएस योजना में शामिल होना अनिवार्य होगा ।

जो कर्मचारी पूर्व में आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल नहीं थे तथा कर्मचारी एवं उनकी पति-पत्नी की मृत्यु के बाद भी पात्र आश्रित आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल नहीं हुए थे और आश्रित (अविवाहित/तलाक़शुदा पुत्री) पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे है। वर्तमान में इनको RELHS-97 में (दोनों पेंशन धारकों की मृत्यु के बाद) शामिल करने हेतु कोई भी दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं है ।

अतः आश्रित (अविवाहित/तलाक़शुदा पुत्री) वर्तमान में आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल हो सकते है या नहीं से संबन्धित दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें ।

11/11/25

(डॉ आशीष सचान)
उप मु.का.अधि./सा. एवं औ.स.
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक